उत्तर प्रदेश शासन
वित्त(सेवायें) अनुभाग-2
संख्या-23/2020/एस-2-833/दस-2020-88क(13)/2017टी0सी0-1
लखनऊ :: दिनाँक:: 04 जून 2020

<u>कार्यालय-आदेश</u>

नियमित नियुक्ति होने अथवा अग्रिम आदेशों तक उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा समूह-क के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके अपने कार्य के साथ-साथ तालिका के कालम संख्या-3 में अंकित पद का अतिरिक्त प्रभार बिना किसी वेतन भत्ते के दिये जाने के श्री राज्यपाल सहर्ष आदेश प्रदान करते है:-

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम/पदनाम/ वर्तमान तैनाती	पद व स्थान जिसका अतिरिक्त कार्यभार प्रदान किया जा रहा है।
1	2	3
1	श्री महेन्द्र कुमार मिश्रा, मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर	संयुक्त निदेशक, पेंशन, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।
2	श्री नारेन्द्र सिंह, अपर निदेशक, कोषागार, देवीपाटन मण्डल, गोण्डा।	संयुक्त निदेशक, पेंशन, देवीपाटन मण्डल, गोण्डा।
3	श्री नीरज श्रीवास्तव, अपर निदेशक, कोषागार, अयोध्या मण्डल, अयोध्या।	संयुक्त निदेशक, पेंशन, अयोध्या मण्डल, अयोध्या।

2- संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अतिरिक्त प्रभार के पद का कार्यभार तत्काल ग्रहण कर, कार्यभार प्रमाणक, शासन एवं निदेशक कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

प्रकाश बिन्दु
विशेष सचिव।

<u>संख्या-23/2020/एस-2-833(1)/दस-2020, तददिनाँक।</u>

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- मण्डलायुक्त, गोरखपुर/देवीपाटन मण्डल गोण्डा/अयोध्या।
2- निदेशक, कोषागार निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
3- निदेशक, पेंशन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4- अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय,शिविर कार्यालय, उ0प्र0 प्रयागराज।
5- उपाध्यक्ष, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर।
6- संबंधित अधिकारीगण द्वारा निदेशक कोषागार।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विद्या कुमार)
अनु सचिव।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in